

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत (i) श्री कलेशर उराँव पिता- जितु उराँव (ii) श्री राजेश उराँव पिता- रवि उराँव, (iii) श्री नरेश उराँव पिता- बासदेव उराँव (iv) श्री संदीप उराँव पिता- सुगन उराँव निवासी ग्राम- चमातु, थाना: बालुमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 अधिनियम के तहत ग्राम: चमातु, खाता सं.- 49 प्लॉट सं.- 2424; खाता सं.- 119, प्लॉट सं.- 2415, 2422, 2368, 2365, 2369; खाता सं.- 48 प्लॉट सं.- 2366; खाता सं.- 123 प्लॉट सं.- 2281 कुल रकबा - 08.00 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: चमातु, खाता सं.- 49 प्लॉट सं.- 2424; खाता सं.- 119, प्लॉट सं.- 2415, 2422, 2368, 2365, 2369; खाता सं.- 48 प्लॉट सं.- 2366; खाता सं.- 123 प्लॉट सं.- 2281 कुल रकबा - 08.00 एकड़ रैयती भूमि, जिसे सी बी ए, 1957 अधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहित किया गया है के तहत (i) श्री कलेशर उराँव पिता- जितु उराँव (ii) श्री राजेश उराँव पिता- रवि उराँव, (iii) श्री नरेश उराँव पिता- बासदेव उराँव (iv) श्री संदीप उराँव पिता- सुगन उराँव निवासी ग्राम- चमातु, थाना: बालुमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विश्व कुमार
25/10/2022

✍